तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
08.05.2018	राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या– 12/2011 दायर दिनाँकः– 20.01.2011 अनुवान्–गोमती, वगैरा बनाम् कमलादेवी, वगैरा। **–: निर्णय ::–** न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प–सूपका में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीनी गोमती पुत्री हेमाराम धर्मपत्नी चेनाराम जाट, निवासी गोदरास, वगैरा द्वारा आवेदन पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 आर.टी.एक्ट विचाराधीन है। हस्तगत प्रकरण में, शरहद सूपका में खसरा नम्बर 209, खसरा नम्बर 244 व 260 की भूमि के किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचाण न करने, हस्तानान्तरण न करने तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु, दिनाँक 20.01.2011 से स्थगन आदेश है। प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने की इस्तदुआ कर रहे हैं। मजमे आम में प्रकरण के सम्बन्ध जानकारी ली गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया। शरहद मौजा सूपका तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खसरा नम्बर 209 रकबा 57.08 बीघा, खसरा नम्बर 244 रकबा 13.09 बीघा व 260 रकबा 25.05 बीघा, में प्रार्थीगण के हक हिस्से के किसी भाग को ताफैसला, हस्तानान्तरित नहीं करने व न अन्य किसी से ऐसा करवाने हेतु, अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने हेतु, प्रार्थीगण इस्तदुआ कर रहे हैं। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से, उपलब्ध साक्ष्यों से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं, तद्नुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। **–:: आदेश ::–** प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर, अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला मूलवाद आराजी तनाजा खसरा नम्बर 209, खसरा नम्बर 244 व 260 शरहद सूपका तहसील डीडवाना में से प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचाण न करेंगे, हस्तानान्तरण नहीं करेंगे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। (उत्तमसिंह शेखावत) सहायक कलक्टर डीडवाना कोर्ट कैम्प–सूपका निर्णय, आज दिनाँक 08.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया। (उत्तमसिंह शेखावत) सहायक कलक्टर डीडवाना कोर्ट कैम्प–सूपका	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–12–2011 / रीडर / 2018 /   दिनाँक 08.05.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–212 R.T. Act.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या– 12/2011   दायर दिनाँक 20.01.2011

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. गोमती पुत्री हेमाराम धर्मपत्नी चेनाराम जाट, निवासी–गोदरास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. इन्द्रा पुत्री हेमाराम धर्मपत्नी गिरधारीलाल जाट, निवासी–सिलणवाद, जाति–जाट, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कमलादेवी पत्नी बंशीलाल, कौम–जाट, निवासी–राणोली, तहसील–सीकार, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. रामावतार पुत्र भँवरराम, उम्र–16साल, नाबालिग जरिये प्रतिवादी संख्या 01, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सूपका

Scanned by CamScanner